कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर

"विज्ञप्ति"

01.01.2004 के पश्चात् राज्य सरकार एवं विद्युत कम्पनियों में नियुक्त राज्य कर्मचारियों की मेडिक्लेम पॉलिसियों का राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालन किया जा रहा है। मेडिक्लेम पॉलिसी का वर्ष 2012–13 के लिए नवीनीकरण कर दिया गया है। पॉलिसी के अन्तर्गत राजस्थान सिविल सर्विसेस मेडिकल अटेन्डेन्स रूल्स 2008 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उन्हीं निजी चिकित्सालयों, जिन्होंने CGHS पैकेज/दरों पर बीमित को चिकित्सा सेवाएं देने की सहमति दी है व सभी राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। गैर अनुमोदित चिकित्सालय में ईलाज कराने का पुनर्भरण नहीं किया जाएगा। ईलाज की सुविधा CGHS पैकेज दर एवं पॉलिसी के नियमों व शर्तो के अनुरूप अधिकतम रू. 2 लाख तक ही देय होगी।

बीमित, अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में भर्ती के समय अपनी पहचान चिकित्सालय को अवश्य व्यक्त करे एवं निर्धारित " आवेदन पत्र" के सभी कॉलमों की पूर्ति करना सुनिश्चित करें। यह आवेदन पत्र सभी अनुमोदित चिकित्सालयों के रिसेप्शन काउन्टर पर उपलब्ध है। बीमित द्वारा उपरोक्त औपचारिकताएं पूर्ण नहीं किये जाने पर यदि अस्पताल द्वारा अपनी दरों पर इलाज खर्च की वसूली की जाती है तो विभाग द्वारा मात्र CGHS दरों पर ही भुगतान देय होगा, अन्तर राशि बीमित द्वारा ही वहन की जायेगी।

चिकित्सालय द्वारा CGHS दर से अधिक राशि वसूल किये जाने पर बीमित अविलम्ब राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग एवं टीपीए को सूचित करे। यदि कर्मचारी चिकित्सालय में अपनी पहचान व्यक्त नहीं करता है एवं CGHS दर से अधिक राशि वसूलने की सूचना राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग एवं टीपीए को नहीं देता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। मेडिक्लेम पॉलिसी वर्ष 2012–13 के संचालन के लिए अनयुता टीपीए नियुक्त है, जिसका पता निम्न है:

अनयुता टीपीए,
बी–204, अमृत कलश, गोपालपुरा,
टोंक रोड़, जयपुर ।
फैक्स नं. 0141–2700792, फोन नं. 0141–6596565,
टोल फ्री नं. – 18004251111
हैल्पडेस्क मोबाइल नं.8764176164
ईमेल : jaipurb@anyutatpa.com , cashless@anyutatpa.com

बीमित को पुनर्भरण राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा सके, इसके लिए दावा प्रपत्र में अपने बैंक का वेतन बैंक खाता नं0, फोन नम्बर व मोबाइल नं0 का स्पष्ट अंकन करें । बैंक खाता संख्या के प्रमाण हेतु पासबुक की स्पष्ट छाया प्रति भी संलग्न करे। इलाज के लिए भर्ती के समय टीपीए को अवश्य सूचित करें। कैशलैस चिकित्सा(Critical illness एवं surgical मामलों में देय है) सुविधा के लिए भर्ती के साथ टीपीए से Pre-authorisation लेवें। पुनर्भरण के दावे अस्पताल से छुट्टी के 90 दिवस की अवधि में टीपीए को भिजवा देवें। मेडिक्लेम पॉलिसी वर्ष 2012–13 के नवीन प्रावधान, प्रस्ताव पत्र, दावा पत्र का प्रारूप, भर्ती के समय भरे जाने वाले आवेदन के प्रारूप, अनुमोदित चिकित्सालयों की नवीन सूची व अन्य जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in या www.anyutatapa.com देखें।

अतिरिक्त निदेशक,
साधारण बीमा निधि,
'डी' ब्लॉक, वित्त भवन,
ज्योतिनगर, जयपुर
दूरभाष : 0141–2740219
फैक्स : 0141–2740292